

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी-वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 81/22  
(जीसीएमएस संख्या 2022/344)

निर्णय दिनांक:-20-11-2023

1. नारायणदास पुत्र हनुमानदास जाति साध निवासी गांव सुरतसिंहपुरा तहसील व जिला बीकानेर। (फौत)  
1/1. सोहनी बेवा नारायणदास  
1/2. भागीरथदास पुत्र नारायणदास  
1/3. मूलदास पुत्र नारायणदास  
1/4. गोविन्ददास पुत्र नारायणदास  
1/5. गंगास्वामी पुत्री नारायणदास  
1/6. मंगेज रामावत पुत्री नारायणदास



-अपीलांट्स

-बनाम-

1. नत्थूखॉ पुत्र बलणखॉ जाति मुसलमान निवासी गांव राववाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर। (फौत)  
1/1. फतुखॉ पुत्र नत्थूखॉ
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

-रेस्पोडेन्ट्स


अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 16-09-1996  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री गिरधारीलाल रामावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट्स ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 16-09-1995 जिसके द्वारा अपीलांट को

  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा बतौर भूमिहीन श्रेणी में तहसील कोलायत के चक 6 आरएम के मुरब्बा नम्बर 216/54 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15-01-1985 को उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट के पक्ष में कर दिया गया। परन्तु अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को आवंटित है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे।



  
राजस्थान अपील अधिकारी  
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा कथन किया रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के आवंटन को निरस्त किये बिना ही आवंटन नियमों के तहत अपीलांट को उसकी पात्रता के अनुसार अन्यत्र भूमि आवंटित की जाती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 16-09-1995 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 16-11-2022 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है, जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।



हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से अपीलांट्स के पिता/पति को सक्षम मानते हुए उपनिवेशन तहसील, कोलायत के चक 6 आरएम के मुरब्बा नम्बर 216/54 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। आवंटन अधिकारी की पत्रावली में शामिल तहसीलदार की रिपोर्ट व रिकार्ड से स्पष्ट है कि अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटित भूमि रेस्पोजेन्ट के पिता को आवंटित की जा चुकी है तथा अपीलांट्स के पति/पिता को किया गया आवंटन रद्द नहीं किया गया है। अपीलांट्स के पति/पिता को भूमि पर कब्जा न मिलने तथा पश्चात्वर्ती आदेश के तहत अन्य को आवंटित कर दिये जाने से अपीलांट्स का हक समाप्त नहीं किया जा सकता। अपीलांट्स की

पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाट्स आज भी पात्रता के अनुसार अन्य भूमि आवंटन करवाने का अधिकारी है।



7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलाट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 16-09-1995 यथावत बहाल रखते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाट्स की आज दिनांक की पात्रता की जाँच करते हुए अपीलाट्स के आवंटन के संबंध में पुनः नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20/11/23 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर